<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>03/03/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने **मेसर्स वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (पेटीएम** की मूल कंपनी) और इसके प्रबंध निदेशक तथा अन्य को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए **कारण बताओ नोटिस (एससीएन)** जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (न्यायनिर्णयन), नई दिल्ली ने **पेटीएम** की प्रमुख (फ्लैग्शिप) कंपनी **मेसर्स वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (ओसीएल)**, इसके प्रबंध निदेशक और अन्य पेटीएम सहायक कंपनियों अर्थात मेसर्स लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए **लगभग 611 करोड़ रुपये** का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि पेटीएम की प्रमुख (फ्लैग्शिप) कंपनी ओसीएल ने सिंगापुर में विदेशी निवेश किया था और विदेशी स्टेप डाउन सहायक कंपनी के निर्माण के लिए आरबीआई को आवश्यक रिपोर्टिंग दाखिल नहीं की थी। इसके अलावा, ओसीएल ने आरबीआई द्वारा निर्धारित उचित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त किया था।

भारत में ओसीएल की सहायक कंपनी मेसर्स लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ने भी आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया था। ओसीएल की एक अन्य सहायक कंपनी मेसर्स नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की रिपोर्ट नहीं की।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।